न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 167/2017 **दायरा दिनांक : 01.12.2017**

उनवान

1— हेमराज पिता नन्दा, जाति गूर्जर, निवासी नेहरावद

2— बाली बाई पुत्री नन्दा पत्नी लालचन्द, जाति गूर्जर, निवासी देवरी

3— सोरमबाई पुत्री नन्दा पत्नी रामदयाल, जाति गूर्जर, निवासी ताल, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— रतनबाई पत्नी कन्हींराम, जाति गूर्जर, निवासी नेहरावद

2— सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री शैलेन्द्र पोषवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 21.05.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 59/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया कि ग्राम नहरवाद, तहसील पचपहाडकी आराजी कुल किता 7 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा स्थित है उसमें से खसरा नम्बर 620 रकबा 15 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया जा रहा है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पत्रावली पर सार संग्रह के विपरीत होने से निरस्तनीय हे । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजीनामा के विधि विरूद्ध जाकर एक पक्षीय अपीलांटगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कहीं पर भी राजीनामा सलंग्न नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना ट्रायल के, बिना सबूत के तथा अपीलांट को उनका पक्ष रखे बगैर जवाब पेश करने का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड का अवलोकन नहीं किया । अपीलांट व रेस्पोडेंट के पिता के मध्य 40 साल पूर्व बंटवारा हो चुका है तथा बंटवारा आपसी सहमति से हुआ था तथा विवादित आराजी रेस्पोडेंट के बंटवारे में आयी थी । ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने कई तथ्यों को सुने बगैर विधि विरूद्ध निर्णय कर दिया जो निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2017 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.09.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर C.P.C. के नियमों की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत को दृष्टिगत रखते हुये कार्यवाही नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.08.2019 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा